



1 फरवरी, 2016

प्रिय साथियों,

मुझे, आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के मामले में एक समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण डाक सेवकों की मौजूदा सेवा-शर्तों, परिलब्धियाँ तथा अन्य सुविधाओं जैसे सेवा-मुक्ति से संबंधित सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा लाभों, इनके कल्याणार्थ किए गए प्रावधानों, भर्ती की प्रणाली, न्योजन हेतु न्यूनतम अर्हता, आचरण एवं अनुशासनिक नियमों की समीक्षा करना तथा इस संबंध में अपेक्षित संशोधनों का सुझाव देना है। इन सुझावों/अनुशंसाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय भारत सरकार का होगा।

2. इस समिति का गठन उस समय किया गया है जब आपके द्वारा संचालित 1.30 लाख ग्रामीण डाक सेवक डाकघरों में कार्यान्वित होने वाली आईटी परियोजनाओं के परिमाणस्वरूप आमूल परिवर्तन हो रहा है। ग्रामीण आईसीटी, कोर बैंकिंग समाधान, मैक-कॉमिश तथा कोर सिस्टम इंटीग्रेटर (सीएसआई) का कार्यान्वयन होने से हमारा ग्रामीण नेटवर्क आधुनिकीकृत बन जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जा रही डाक और वित्तीय सेवाओं में सुधार आएगा। आशा है कि ग्रामीण तथा शहरी भारत के बीच के डिजिटल अंतर को पाटने के साथ-साथ आरआईसीटी और अन्य आईटी परियोजनाएं, हमारे ग्रामीण नेटवर्क की क्षमता का पूरा इस्तेमाल करेंगी और आपको, ग्रामीण जन को बेहतर सेवाएं प्रदान करने का अवसर प्रदान करेंगी। इससे वित्तीय समावेशन सुनिश्चित होगा।


3. इन परियोजनाओं के साथ-साथ भारतीय डाक बैंक जैसी अन्य परियोजनाओं की सफलता आपकी प्रतिबद्धता पर निर्भर है। वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार पूरी तरह हम पर निर्भर है। इसलिए, उक्त परियोजनाओं की सफलता हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है।

4. ग्रामीण डाक सेवक समिति को अपनी सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया है। यह समिति अपना अंतिम विचार बनाने के उद्देश्य से विभिन्न भागीदारों से फीडबैक प्राप्त कर रही है। चूंकि आप, इस समिति के सबसे महत्वपूर्ण भागीदार हैं अतः, आपके विचार समिति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि वह इनकी जांच तथा विश्लेषण कर सके और पारस्परिक लाभ के दृष्टिकोण से जहां तक संभव हो, इन्हें अपनी अंतिम अनुशंसाओं में शामिल कर सके।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप अपने सामान्य अथवा किसी खास विषय पर विचार समिति को भेजें। आपके विचार इस पत्र के पैरा 1 में उल्लिखित समिति के विचारार्थ विषयों पर आधारित होने चाहिए। आप अपने विचार पत्र के माध्यम से श्री टी. क्यू. मोहम्मद, सचिव, जीडीएस समिति, मालचा मार्ग डाकघर, नई दिल्ली-110021 को अथवा ई-मेल के माध्यम से gds.com.feedback@gmail.com पर अथवा यूआरएल <http://indiapost.gov.in/dop/feedback.aspx> पर भेज सकते हैं। वैकल्पिक तौर पर आप विभाग की वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर इम्प्लॉई कोर्नर-जीडीएस फीडबैक फार्म के विकल्प के जरिए भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। अपना फीडबैक फार्म अग्रेषित करते हुए पता लिखने हेतु निर्धारित स्थान (एड्रेस बॉक्स) पर नाम लिखने के साथ-साथ डाकघर का नाम, लेखा कार्यालय का नाम, डिवीजन तथा सर्किल के नाम का उल्लेख अवश्य करें।

6. उक्त मामले में आपके फीडबैक के लिए मैं आपका पहले ही धन्यवाद करना चाहूंगा। आशा है कि आप, हमें अपने विचारों से यथाशीघ्र अवगत कराएंगे।

शुभकामनाओं सहित


(कमलेश चन्द्र)

सेवा में,
समस्त ग्रामीण डाक सेवक

अध्यक्ष
ग्रामीण डाक सेवक समिति